सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **136/2017** दायर दिनाँक **22.05.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामकरण पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मणराम, उम्र–70साल, जाति–जाँगिड़, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. प्रहलादराम पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मणराम, उम्र–66साल, जाति–जाँगिड़, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

उपस्थित:–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **05.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद मौजा तोषीणा में खेत खसरा नम्बर 1315/1077 रकबा 13.13 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी की है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद तोषीणा में खसरा नम्बर 1315/1077 रकबा 13.13 बीघा भूमि का बन्टवारा कर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच बराबर–बराबर खातेदारी घोषित की जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा प्रकरण में अनापत्ति जाहिर की गयी।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खेवट संख्या 375/319 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**तोषीणा** में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 136/2017
दायर दिनाँक 22.05.2017, निर्णय दिनाँक 05.06.2018
रामकरण बनाम् प्रहलादराम, वगैरा।

लोक अदालत व आपसी समझाईश के कारण से पक्षकारान् राजीनामा ने अपने बीच राजीनामा होने की मंशा जाहिर की।

दावानुसार, पक्षकारान् सहमत हैं एवं दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में वाद में जानकारी ली गयी। मजमें आम में प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, शरहद तोषीणा में खसरा नम्बर 1315/1077 रकबा 13.13 बीघा भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को बराबर–बराबर हिस्सा 1/2 – 1/2 भाग की खातेदारी दी जाना न्यायसंगत पाया गया।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों के मद्दे नजर वाद वादी स्वीकार किया जाकर, वादी अनुतोषानुसार दावा डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **तोषीणा** में वादग्रस्त भूमि खसरा का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, खसरा नम्बर 1315/1077 रकबा 13.13 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग का वादी को तथा हिस्सा 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

निर्णय, आज दिनाँक **05.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **136/2017** दायर दिनाँक **22.05.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामकरण पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मणराम, उम्र—70साल, जाति—जाँगिड़, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. प्रहलादराम पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मणराम, उम्र—66साल, जाति—जाँगिड़, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **05.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **तोषीणा** में वादग्रस्त भूमि खसरा का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, खसरा नम्बर 1315/1077 रकबा 13.13 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग का वादी को तथा हिस्सा 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक—दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

नीज.........—......... मुबलिंग...........—.............. बाबत............ .....—..................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—तोषीणा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner